Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारतीय संविधान एवं भारतीय राजव्यवस्था

(भाग-1)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CSPM09

दृष्टि The Vision

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारतीय संविधान एवं भारतीय राजव्यवस्था

(भाग–1)

दृष्टि The Vision

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली–110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UPSC DLP विषय सूची (Contents)

1.	राजव्यवस्था: एक परिचय	5-30
2.	कुछ प्रमुख देशों की संवैधानिक योजनाओं का परिचय	31–42
3.	भारतीय संविधान: एक परिचय	43–68
4.	संविधान की प्रस्तावना	69–76
5.	भारत संघ और उसका राज्यक्षेत्र	77–101
6.	नागरिकता	102–118
7.	मूल अधिकार	119–200

अध्याय
1

राजव्यवस्था: एक परिचय
(Polity: An Introduction)

1.1 राज्य, राज्य के तत्त्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता
1.2 राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
1.3 शासन के अंग
1.4 शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार-1
1.5 शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार-1
1.6 लोकतंत्र व संविधानवाद का ऐतिहासिक विकास
1.7 लोकतंत्र के प्रकार

1.1 राज्य, राज्य के तत्त्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता *(State, Elements of State and the Need of Political System)*

भारतीय राजव्यवस्था को समझने से पहले ज़रूरी है कि राजव्यवस्था (Polity) की कुछ मूलभूत अवधारणाओं तथा पारिभाषिक शब्दावली (Terminology) से आप परिचित हों। ऐसी कुछ महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ तथा उनकी व्याख्या आगे दी गई हैं।

राज्य क्या है? *(What is State?)*

राजव्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा 'राज्य' (State) है। राज्य शब्द का प्रयोग यूँ तो विभिन्न प्रांतों (Provinces), जैसे- उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिये भी होता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की **राजनीतिक संरचना (Political Structure)** से होता है। वस्तुत: यह एक **अमूर्त (Abstract) अवधारणा** है अर्थात् इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है, किंतु देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिये भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही **राज्य** कहलाती है। किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं? विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना (जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैड, ऑस्ट्रेलिया में) और स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देशों (जैसे कुछ समय पहले के अफगानिस्तान) में विकास प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना इसी बात का प्रमाण है।

राज्य के तत्त्व *(Elements of State)*

किसी भी राज्य के होने की शर्त है कि उसमें चार तत्त्व विद्यमान हों-

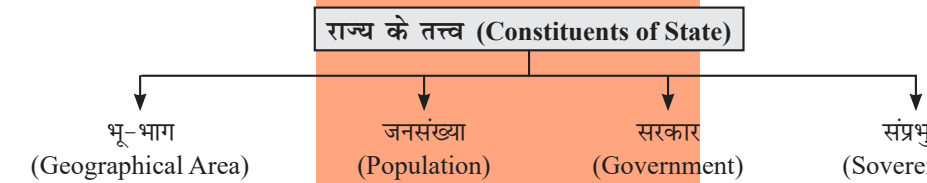

- **भू-भाग (Geographical Area):** अर्थात् एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिये, जिस पर उस 'राज्य' की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएँ करती हो। उदाहरण के लिये, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भू-भाग है।
- **जनसंख्या (Population):** राज्य होने की शर्त है कि उसके भू-भाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जनसमुदाय होना चाहिये, जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा।

ऐसी प्रणाली विकसित हो गई, जिसे द्विगठबंधनीय व्यवस्था (Two Coalitions System) कहा जाने लगा। अभी भी भारत में यही व्यवस्था चल रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA- National Democratic Alliance) तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA- United Progressive Alliance) इस व्यवस्था में शामिल सबसे महत्त्वपूर्ण दो गठबंधन हैं। इस नए ढाँचे का लाभ यह है कि इसमें द्विदलीय प्रणाली वाली स्थिरता भी विद्यमान है और देश के भाषायी, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक वैविध्य को अभिव्यक्ति देने वाली बहुदलीय प्रणाली के लाभ भी शामिल हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
संवैधानिक सरकार वह है: **UPSC (Pre) 2014**
   1. जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।
   2. जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।

   उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
2. राज्य के लिये अनिवार्य तत्त्व हैं:
   1. जनसंख्या 2. सरकार
   3. संप्रभुता 4. भू-भाग

   कूट:
   (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4
   (c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. राज्य के चारों तत्त्व वैकल्पिक रूप से अनिवार्य होते हैं।
   2. यदि चारों तत्त्वों में से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है।

   उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।
   2. संप्रभुता राज्य की वह सार्वभौम शक्ति है, जिससे वह किसी भी बाह्य अथवा आंतरिक निर्णयों को लेने के लिये स्वतंत्र है।

   उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
5. ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुत: राज्य नहीं था:
   (a) निश्चित भू-भाग के अभाव के कारण
   (b) जनसंख्या के अभाव के कारण
   (c) सरकार के अभाव के कारण
   (d) संप्रभुता के अभाव के कारण
6. भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता के कारण हैं:
   1. भारत में राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुँचा सकती हैं।
   2. भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं।
   3. भारत एक कल्याणकारी राज्य (Welfare state) की भूमिका में है।
   4. भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुज़र रहा है।

   उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 3 और 4
   (b) केवल 1, 3 और 4
   (c) केवल 1, 2 और 3
   (d) 1, 2, 3 और 4
7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. राज्य से अभिप्राय किसी समाज की राजनीतिक संरचना (Political Structure) से है।
   2. राज्य एक अमूर्त (Abstract) अवधारणा है।
   3. सरकार राज्य की मूर्त व व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।

   उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) केवल 1, 2 और 3

8. निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण पाया जाता है?
   (a) अमेरिका
   (b) ब्रिटेन
   (c) भारत
   (d) स्विट्ज़रलैंड
9. निम्नलिखित में सरकार के अंग के रूप में जाने जाते हैं:
   1. न्यायपालिका 2. विधायिका
   3. कार्यपालिका

   कूट:
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) केवल 1, 2 और 3
10. निम्न में से किसे जनता निश्चित अवधि के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है?
   (a) राजनीतिक कार्यपालिका
   (b) स्थायी कार्यपालिका
   (c) राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका दोनों
   (d) न तो राजनीतिक और न ही स्थायी कार्यपालिका

उत्तरमाला

1. (b) 2. (d) 3. (b) 4. (c) 5. (d) 6. (d) 7. (d) 8. (d) 9. (d) 10. (a)

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह 'नियंत्रण एवं संतुलन' के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिये। **UPSC (Mains) 2019**
2. 'विधि के शासन' से आप क्या समझते हैं? भारत का संविधान किस प्रकार इसकी स्थापना सुनिश्चित करता है?
3. भारतीय संविधान की समीक्षा की आवश्यकता का परीक्षण कीजिये।
4. भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में विपथगमन स्पष्ट कीजिये।
5. राजनीतिक कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न रूपों का विश्लेषण करें।

अध्याय
2

कुछ प्रमुख देशों की संवैधानिक योजनाओं का परिचय (Introduction to the Constitutional Schemes of Some Major Countries)

2.1 ब्रिटेन की संवैधानिक योजना	2.4 फ्राँस की संवैधानिक योजना
2.2 अमेरिका की संवैधानिक योजना	2.5 जर्मनी की संवैधानिक योजना
2.3 स्विट्ज़रलैंड की संवैधानिक योजना	2.6 भारतीय संविधान पर अन्य संविधानों का प्रभाव

भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पक्षों का विस्तृत अध्ययन करने से पहले बेहतर होगा कि आप विश्व के कुछ प्रमुख देशों के संविधानों तथा उनकी राजव्यवस्थाओं से परिचित हों। ऐसा करने के दो लाभ होंगे–

(क) यह समझना आसान होगा कि भारतीय संविधान व राजव्यवस्था में कौन-कौन सी विशेषताएँ किस देश से ली गई हैं?

(ख) भारतीय राजव्यवस्था की तुलना अन्य राजनीतिक प्रणालियों से करना सरल हो जाएगा।

2.1 ब्रिटेन की संवैधानिक योजना *(British Constitutional Scheme)*

भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा प्रभाव ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली का है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि लंबे समय तक ब्रिटेन के अधीन रहने के कारण हमारे स्वाधीनता संघर्ष के नेताओं को ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली के लक्षणों से परिचित होने का पर्याप्त अवसर मिला था। संक्षेप में ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

- ब्रिटिश शासन प्रणाली **संवैधानिक राजतंत्र (Constitutional Monarchy)** पर आधारित है। 1688 ई. से पहले ब्रिटेन में राजतंत्र (Monarchy) चल रहा था, किंतु 1688 ई. में हुई गौरवमयी क्रांति (Glorious Revolution) ने राजतंत्र को हटाकर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। इसका अर्थ है कि आजकल ब्रिटेन में राजा के पास नाममात्र की शक्ति है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ संविधान के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाओं जैसे संसद के पास आ गई हैं। यह ज़रूर है कि ब्रिटिश व्यवस्था में अभी भी राजतंत्र (Monarchy) और कुलीनतंत्र (Aristocracy) के कुछ लक्षण बचे हुए हैं, जैसे- राजमुकुट (Crown) की संस्था तथा लॉर्ड्स सभा (House of Lords) की निरंतरता।
- ब्रिटेन का लोकतंत्र **संसदीय प्रणाली (Parliamentary system)** पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि कार्यपालिका (Executive) का गठन विधायिका (Legislature) अर्थात् ब्रिटिश संसद के सदस्यों में से ही होता है। चूँकि संसदीय व्यवस्था का जन्म ब्रिटिश संसद से ही हुआ था, इसलिये संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर (Westminster) प्रणाली भी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि 'वेस्टमिंस्टर' लंदन का वह स्थान है, जहाँ ब्रिटिश संसद भवन स्थित है।
- ब्रिटेन का संविधान **अलिखित संविधान (Unwritten Constitution)** है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ औपचारिक रूप से गठित किसी संविधान सभा (Constituent assembly) ने कोई ऐसा अकेला दस्तावेज़ तैयार नहीं किया है, जिसे ब्रिटिश संविधान की संज्ञा दी जा सके। ब्रिटेन में संविधान धीरे-धीरे विकसित हुआ है, जिसका कुछ हिस्सा लोकविधियों (Common Laws), कुछ संवैधानिक परंपराओं (Constitutional Conventions), कुछ न्यायालयी निर्णयों (Case laws) तथा कुछ संसद के अधिनियमों (Parliamentary Acts) पर आधारित है।
- ब्रिटेन की **संसद अत्यधिक शक्तिशाली** है, जिसका मूल कारण संविधान का अलिखित होना है। चूँकि संविधान संसद की शक्तियों पर कोई नियंत्रण लागू नहीं करता, इसलिये ब्रिटेन की संसद विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया से ही संविधान को बदल सकती है। यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान को सुनम्य या लचीला संविधान (Flexible Constitution) भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद की शक्तियों पर टिप्पणी करते हुए एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता एडवर्ड कॉक ने कहा है कि "ब्रिटिश संसद ऐसा कोई भी कार्य कर सकती है, जो कि प्राकृतिक दृष्टि से असंभव न हो।"

अध्याय
3

भारतीय संविधानः एक परिचय
(Indian Constitution: An Introduction)

3.1 संविधान सभा तथा संविधान का निर्माण
3.2 संविधान का अर्थ एवं विशेषताएँ
3.3 संविधानों का वर्गीकरण और भारतीय संविधान
3.4 भारतीय संविधान परिसंघात्मक है, संघात्मक या एकात्मक?
3.5 भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय
3.6 भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद
3.7 संविधान की अनुसूचियाँ

3.1 संविधान सभा तथा संविधान का निर्माण
(Constituent Assembly and the Making of Constitution)

आमतौर पर किसी भी प्रभुसत्तासंपन्न (Sovereign) लोकतांत्रिक (Democratic) देश में उसके संविधान के निर्माण का कार्य एक जनप्रतिनिधि संस्था द्वारा किया जाता है, जो संविधान के विभिन्न पक्षों, उद्देश्यों, प्रावधानों आदि पर विचार करती है तथा संविधान बन जाने के बाद उसे अंगीकार (Adopt) भी करती है। इस प्रकार की संस्था को 'संविधान सभा' (Constituent Assembly) कहते हैं। भारत का संविधान बनाने के लिये ऐसी सभा का निर्वाचन जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ था।

संविधान सभा की मांग *(Demand for the Constituent Assembly)*

स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत के नेताओं ने लगातार इस बात की मांग की थी कि भारत के स्वतंत्र होने पर भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा द्वारा देश के संविधान का निर्माण किया जाना चाहिये। शुरू में अंग्रेज़ सरकार इस पर सहमत नहीं थी किंतु स्वाधीनता संग्राम के अंतिम दौर में (दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के समय) उसे स्वीकार करना पड़ा कि भारत का संविधान भारतवासी ही तैयार करेंगे। 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स द्वारा प्रस्तुत 'क्रिप्स मिशन योजना' (Cripps Mission Plan) के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया कि "भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, जो युद्ध के बाद भारत का संविधान तैयार करेगी।" किंतु मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसकी मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बाँटकर दोनों हिस्सों के लिये अलग-अलग संविधान सभा बनाई जानी चाहिये। क्रिप्स मिशन के विफल होने के बाद 1946 में जब कैबिनेट मिशन (Cabinet Mission) भारत आया तो संविधान सभा के गठन का मार्ग तैयार हो गया क्योंकि कैबिनेट मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकराने के बाद भी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन के सिद्धांत को मान लिया था, जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया।

संविधान सभा का गठन *(Formation of the Constituent Assembly)*

कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किये गए सुझावों के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना था–

- संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को और 93 सीटें देशी रियासतों (Princely states) को दी जानी थीं।
- हर ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थीं। आमतौर पर प्रत्येक दस लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन होना था।

अध्याय
4

संविधान की प्रस्तावना (Preamble of Constitution)

4.1 प्रस्तावना की विषय-वस्तु 4.2 प्रस्तावना की उपयोगिता

प्रस्तावना या **उद्देशिका (Preamble)** किसी संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। सबसे पहले अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। इसके बाद, जैसे-जैसे विभिन्न देशों ने अपने संविधान बनाए, उनमें से कई देशों ने प्रस्तावना को महत्त्वपूर्ण मानकर इसे संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान सभा ने भी प्रस्तावना को शामिल करने पर सहमति जताई। वस्तुतः यह प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को स्वीकार किये गए उसी **उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution)** का विकसित रूप है, जिसे पं. नेहरू ने प्रस्तुत किया था और जिसमें निहित आदर्शों पर मूल स्वीकृति के आधार पर ही संविधान के विभिन्न उपबंध (Provisions) बनाए गए थे। **उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) और प्रस्तावना (Preamble) मिलकर भारतीय संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करते हैं।**

प्रस्तावना के संदर्भ में कई बिंदुओं पर विचार किया जाना अपेक्षित है, जैसे–

- प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है?
- प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं?
- क्या प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के उपबंधों (Provisions) के तहत संशोधन (Amendment) किया जा सकता है?
- यदि भारतीय विधायिका (Legislature) या कार्यपालिका (Executive) की नीतियाँ प्रस्तावना में उल्लिखित विचारों के अनुरूप न हों तो क्या प्रस्तावना में लिखित विचारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित (Enforce) कराया जा सकता है?

4.1 प्रस्तावना की विषय-वस्तु *(Content of the Preamble)*

प्रस्तावना (उद्देशिका)	Preamble
हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी 'पंथनिरपेक्ष' लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को:	WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens :
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय**,	JUSTICE: social, economic and political;
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता**,	LIBERTY: of thought, expression, belief, faith and worship;
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**	EQUALITY of status and of opportunity;
प्राप्त कराने के लिये,	and to promote among them all
तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता** बढ़ाने के लिये	FRATERNITY: assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;
दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**	IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में तीन शब्द– **समाजवादी (Socialist)**, **पंथनिरपेक्ष (Secular)** तथा **अखंडता (Integrity)** जोड़े गए थे। इन शब्दों के जुड़ने के बाद प्रस्तावना का वर्तमान रूप इस प्रकार है–

अध्याय
5

भारत संघ और उसका राज्यक्षेत्र
(Union of India and its Territories)

5.1 संविधान का भाग-1 : अनुच्छेद 1–4 5.2 स्वतंत्रता के पश्चात् देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन

5.1 संविधान का भाग-1 : अनुच्छेद 1–4 *(Part-1 of Constitution Article 1-4)*

भारतीय संविधान के भाग-1 (अनुच्छेद 1 से 4) में इस बात की चर्चा की गई है कि भारत के राज्यक्षेत्र (Indian territory) में किस-किस प्रकार की इकाइयाँ होंगी और उनका भारत संघ (Union of India) के साथ क्या संबंध होगा? इस भाग को ठीक से समझने के लिये हम सभी अनुच्छेदों पर क्रमशः विचार करेंगे–

अनुच्छेद-1 *(Article–1)*

संविधान के अनुच्छेद-1 के तीन खंड हैं- अनुच्छेद-1(1), 1(2) तथा 1(3)। इन तीनों में भारत संघ तथा उसके राज्यक्षेत्र से संबंधित बुनियादी सूचनाएँ दी गई हैं।

अनुच्छेद-1(1) [Article–1(1)]

अनुच्छेद-1(1) में कहा गया है कि "इंडिया अर्थात् भारत राज्यों का संघ (Union) होगा" (India, that is Bharat, shall be a union of states)।

यह कथन निम्न दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है:

- इसमें 'इंडिया, दैट इज़ भारत' का जो प्रयोग किया गया है, उसे लेकर प्रश्न उठता है कि संविधान निर्माताओं को एक ही देश के दो नामों का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी? वस्तुतः संविधान सभा में देश के नाम के मुद्दे पर काफी चर्चा हुई थी। जो लोग भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति पर बल दे रहे थे, उनकी इच्छा थी कि देश का नाम 'भारत' होना चाहिये। दूसरी ओर, कुछ नेताओं की राय थी कि 'इंडिया' नाम से भारत को पूरे विश्व में पहचाना जाता है तथा यह आधुनिक नाम है, इसलिये देश का नाम इंडिया ही होना चाहिये। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organisation) में भी उस समय भारत का नाम 'इंडिया' था तथा हमारे देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी 'इंडिया' नाम से हुए थे। चूँकि संविधान सभा विवाद के मामलों में सर्वसम्मति (Consensus) न हो पाने की दशा में समायोजन (Accomodation) के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करती थी, इसलिये उसने दोनों ही नामों को शामिल कर लेना उचित समझा। विवाद इस पर भी था कि 'इंडिया, दैट इज़ भारत' कहना ज़्यादा उचित है या 'भारत, दैट इज़ इंडिया?' किंतु इस विवाद पर ज़्यादा बल न देते हुए 'इंडिया, दैट इज़ भारत' अभिव्यक्ति को चुन लिया गया। इसका अर्थ यह है कि देश का औपचारिक नाम 'इंडिया' है।
- इस कथन में प्रयुक्त शब्द 'यूनियन' भी व्याख्या की अपेक्षा रखता है। संविधान सभा के समक्ष यह प्रश्न काफी महत्त्वपूर्ण था कि भारत की शासन प्रणाली को एकात्मक ढाँचे (Unitary structure) के अनुसार रखा जाए या संघात्मक (Federal structure) ढाँचे के अनुसार? संविधान सभा शुरू में राज्यों को अधिकाधिक स्वायत्तता देने के पक्ष में थी किंतु भारत-पाक विभाजन के बाद उसकी राय बदल गई। वह समझ गई कि विभिन्न रियासतों (Princely states) से मिलकर बने देश के समक्ष एक बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की है। इसके लिये ज़रूरी था कि केंद्र की शक्ति ज़्यादा हो और राज्यों को इतनी स्वाधीनता न दी जाए कि भविष्य में किसी भी तनाव की स्थिति में राष्ट्रीय एकता पर खतरा उपस्थित हो जाए।

अध्याय
6

नागरिकता (Citizenship)

6.1 परिचय
6.2 भारतीय नागरिकता का स्वरूप
6.3 संवैधानिक प्रावधान
6.4 नागरिकता अधिनियम, 1955
6.5 विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे

6.1 परिचय *(Introduction)*

भारतीय संविधान अनुच्छेद 1-4 (भाग-I) तक भारत के राज्यक्षेत्र से संबंधित उपबंध देने के बाद अनुच्छेद 5-11 (भाग-II) में स्पष्ट करता है कि इस राज्यक्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में से नागरिक (Citizens) कौन होंगे? संविधान में नागरिकता से संबंधित बहुत कम प्रावधान देते हुए सिर्फ यह बताया गया है कि संविधान लागू होने के दिन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा? बाद की स्थितियों के लिये नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है। इस शक्ति के आधार पर संसद ने सर्वप्रथम 1955 में 'नागरिकता अधिनियम' (Citizenship Act) पारित किया था। उसके बाद उसने समय-समय पर इस अधिनियम में प्रासंगिक संशोधन भी किये हैं।

व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग *(Different categories of persons)*

किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों को उनके कानूनी दर्जे (Legal status) के आधार पर साधारणत: निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

- **नागरिक (Citizens)**– 'नागरिक' किसी देश के 'पूर्ण सदस्य' होते हैं। वे राज्य तथा संविधान के प्रति निष्ठा (Allegiance) रखते हैं। उन्हें सभी मूल अधिकार व बहुत से कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उनसे राज्य द्वारा घोषित कर्त्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। कोई व्यक्ति किस देश का नागरिक है, इसकी सामान्य कसौटी यह है कि उसके पास किस देश का पासपोर्ट है या वह किस देश का पासपोर्ट प्राप्त करने की अर्हता रखता है?
- **अन्यदेशीय व्यक्ति (Aliens)**– ये वे व्यक्ति हैं जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं। तकनीकी तौर पर इन्हें 'विदेशी' (Foreigner) भी कहा जाता है। अन्यदेशीय व्यक्तियों (Aliens) को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है– 'मित्र अन्यदेशीय' (Friendly aliens) तथा 'शत्रु अन्यदेशीय' (Enemy aliens)। जिन देशों के साथ हमारा युद्ध चल रहा होता है, उनके नागरिकों को 'शत्रु अन्यदेशीय' कहते हैं जबकि शेष देशों के नागरिक 'मित्र अन्यदेशीय' कहलाते हैं।

  अन्यदेशीय व्यक्तियों (Aliens) को वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते जो नागरिकों के पास होते हैं। देश के संविधान तथा अन्य अधिनियमों में स्पष्ट किया जाता है कि उनके पास कौन–से अधिकार नहीं होंगे। उदाहरण के लिये, भारत में अन्यदेशीय व्यक्तियों को अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन का अधिकार' प्राप्त है, किंतु अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 'स्वतंत्रता का अधिकार' प्राप्त नहीं है। शत्रु अन्यदेशीय व्यक्तियों (Enemy aliens) को कुछ अन्य अधिकारों से भी वंचित किया जा सकता है जो मित्र अन्यदेशीय व्यक्तियों (Friendly aliens) को दिये गए हों। उदाहरण के लिये, अनुच्छेद 22(3) में गिरफ्तारी से संरक्षण के संबंध में जैसे विस्तृत अधिकार भारत के नागरिकों तथा मित्र अन्यदेशीय व्यक्तियों को प्राप्त हैं, वैसे शत्रु अन्यदेशीय व्यक्तियों को नहीं।
- **राज्यविहीन व्यक्ति (Stateless Persons)**– यह एक अत्यंत छोटा वर्ग है, जिसमें विरल (Rare) उदाहरण ही शामिल होते हैं। कई देशों में इस वर्ग में एक भी व्यक्ति नहीं होता। साधारणत: अवैध आप्रवासियों (Illegal immigrants) की नई पीढ़ियाँ इस स्थिति में होती हैं। कभी-कभी यह भी हो सकता है कि नागरिकता संबंधी दस्तावेज़ों के अभाव में कोई व्यक्ति राज्यविहीन घोषित कर दिया जाए।

अध्याय
7

मूल अधिकार
(Fundamental Rights)

7.1 मूल अधिकार : पृष्ठभूमि
7.2 मूल अधिकार : अनुच्छेद-12 और 13
7.3 समता का अधिकार : अनुच्छेद-14–18
7.4 स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद-19–22
7.5 शोषण के विरुद्ध अधिकार : अनुच्छेद-23 और 24
7.6 अनुच्छेद-25–28 : धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
7.7 अनुच्छेद-29-30 : संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
7.8 अनुच्छेद-31: संपत्ति का अधिकार (अब विलोपित) तथा कुछ विधियों की व्यावृति या सुरक्षा
7.9 संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद-32

7.1 मूल अधिकार : पृष्ठभूमि *(Fundamental Rights : A Background)*

मूल अधिकारों का अर्थ *(Meaning of fundamental rights)*

मूल अधिकारों की पूर्णत: निश्चित विशेषताएँ बताना संभव नहीं है क्योंकि विभिन्न देशों में उनकी प्रकृति भिन्न है। मोटे तौर पर भारतीय राजव्यवस्था की दृष्टि से मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित मानी जा सकती हैं–

- मूल अधिकार वे आधारभूत स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिये आवश्यक होती हैं। शेष अधिकारों के संबंध में यह हमेशा नहीं कहा जा सकता।
- मूल अधिकार देश की मौलिक विधि (Fundamental law) अर्थात् संविधान में उल्लिखित होते हैं। ये संविधान द्वारा रक्षित और प्रवृत्त होते हैं।
- आमतौर पर, मूल अधिकार सिर्फ कार्यपालिका (Executive) की शक्ति को मर्यादित नहीं करते बल्कि विधानमंडल (Legislature) की शक्ति को भी नियंत्रित करते हैं। यदि विधायिका इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई विधि (Law) बनाती है तो वह उस सीमा तक निष्प्रभावी या शून्य (Void) हो जाती है, जहाँ तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है।
- मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिये संविधान में संशोधन करना ज़रूरी होता है जबकि शेष कानूनी या विधिक (Legal or statutory) अधिकारों के मामले में आमतौर पर संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। कानूनी अधिकार के मामले में संविधान संशोधन की ज़रूरत सिर्फ तब होती है जब वह संविधान के द्वारा दिया गया हो। अगर कानूनी अधिकार किसी अधिनियम के माध्यम से दिया गया है तो उसमें साधारण विधेयक से ही संशोधन किया जा सकता है, संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती।

ध्यातव्य है कि सभी कानूनी अधिकार मूल अधिकार नहीं होते हैं, उदाहरण के लिये, उपभोक्ता अधिकार (Consumer Rights) कानूनी अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। इसी प्रकार संपत्ति का अधिकार (Right to property), जो पहले मूल अधिकार था, वह अब कानूनी अधिकार है पर मूल अधिकार नहीं। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-301) भी कानूनी अधिकार का उदाहरण है।

मूल अधिकार नकारात्मक (Negative) भी हो सकते हैं और सकारात्मक (Positive) भी; उनका स्वरूप प्राकृतिक अधिकारों (Natural rights) की तरह भी हो सकता है और सामान्य कानूनी या विधिक अधिकारों (Legal rights) की तरह भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित देश की राजव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? जहाँ तक भारतीय संविधान व राजव्यवस्था का प्रश्न है, उसमें दिये गए मूल अधिकार इन सभी वर्गों में अलग-अलग मात्रा में समायोजित किये जा सकते हैं।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596